

केन्द्रीय सूचना आयोग
द्वितीय तल, अगस्त क्रांति भवन
भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली - 110066.

प्रथम अपील सं. CIC/AA/A/2016/197
संदर्भ संचिका सं. CICOM/A/2016/00196
CICOM/R/2016/00422

दिनांक: 06.06.2016

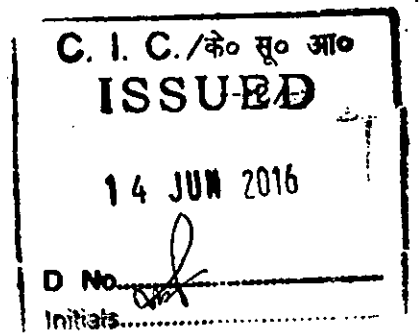
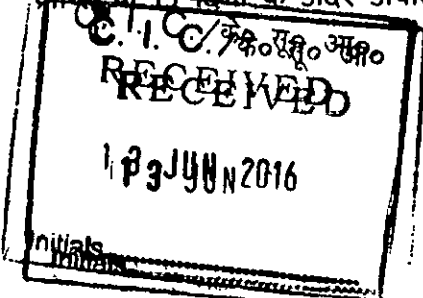
अपीलकर्ता : श्री बिमल शंकर विश्वकर्मा,
सदर बाजार, बड़ी काली नं.1 रोड,
पो0 - जमालपुर, जिला - मुंगेर
(बिहार)।

निर्णय की तारीख : 06.06.2016

आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	22.04.2015
आर.टी.आई. आवेदन के प्रतिउत्तर की तिथि	26.04.2016
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी	श्री यू. सी. जोशी
प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	27.04.2016
आयोग में प्रथम अपील का डायरी सं. व तिथि	131877/02.05.2016
प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्यालय का डायरी सं. व तिथि	254/03.05.2016

1. अपीलकर्ता ने आर.टी.आई. आवेदन के माध्यम से दिनांक 20.02.2015 को दाखिल की गई याचिका पर आयोग द्वारा लिए गए निर्णय के संबंध में जानकारी मांगी थी।

2. संबंधित संचिका का अवलोकन करने पर पाया गया कि श्री अपीलकर्ता ने दिनांक 22.04.2015 को राष्ट्रपति सचिवालय को एक आर.टी.आई. आवेदन दाखिल कर दिनांक 20.02.2015 को आयोग में दाखिल याचिका पर आयोग द्वारा लिए गए निर्णय की जानकारी मांगी। उक्त आवेदन दिनांक 01.05.2015 को राष्ट्रपति सचिवालय द्वारा केन्द्रीय सूचना आयोग का प्रेषित किया गया गया जो कि केन्द्रीय सूचना आयोग में दिनांक 14.05.2015 को डायरी सं. 131800 के तहत डायराइज हुआ तथा दिनांक 28.03.2016 को आर.टी.आई. प्रकोष्ठ में प्राप्त हुआ तथा दिनांक 30.03.2016 को उप-पंजीयक, मुख्य सूचना आयुक्त कार्यालय को ऑनलाइन ट्रांसफर किया गया, दिनांक 01.04.2016 को श्री एस.सी.शर्मा, उप-पंजीयक, मुख्य सूचना आयुक्त कार्यालय द्वारा अपीलकर्ता को सूचित करते हुए धारा 5(2) क तहत आवेदन उप-पंजीयक व जन सूचना अधिकारी, सूचना आयुक्त-ए.बी. कार्यालय को ट्रांसफर किया गया। दिनांक 26.04.2016 को श्री यू.सी.जोशी, उप-पंजीयक व जन सूचना अधिकारी, सूचना आयुक्त-ए.बी. कार्यालय द्वारा अपीलकर्ता को सूचित किया गया रजिस्ट्री ने मार्च, 2016 में कार्य करना प्रारंभ किया है, वांछित सूचना से संबंधित रिकार्ड उपलब्ध नहीं है। इस तरह अपीलकर्ता को अभी तक स्पष्ट सूचना नहीं मिल पाई है। अतः श्री यू.सी.जोशी, उप-पंजीयक व जन सूचना अधिकारी, सूचना आयुक्त-ए.बी. कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि संबंधित दस्तावेज की तालाश कर इस आदेश की प्रतिलिपि के 15 दिनों के अंदर अपीलकर्ता को वांछित सूचना उपलब्ध करवाई जाए।



3. तदुसार अपील निस्तारित की जाती है ।

4. प्रदान की गई सूचना से यदि अपीलनकर्ता असंतुष्ट हों तो सूचना प्राप्ति के 30 दिनों के अंदर अधोहस्ताक्षरी के सम्मुख पुनः प्रथम अपील दाखिल की जा सकती है ।

अचला सिन्हा

(अचला सिन्हा)

अपर सचिव एवं

प्रथम अपीलीय अधिकारी

प्रतिलिपि :

1. जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली ।
2. श्री यू.सी.जोशी, उप-पंजीयक व जन सूचना अधिकारी, सूचना आयुक्त-ए.बी. कार्यालय, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली । —

By Hand R.K.Sharma (B)

13/6/16